20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(76)

...यालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

1) अपील/छतरपुर/भू.रा./2017/3168

1. सामुअल तनय पुन्टू ईसाई
2. सेमसन तनय पुन्टू ईसाई
3. युसुफ तनय पुन्टु ईसाई
4. फिलिप तनय पुन्टू ईसाई

सभी निवासी घुवारा जि. छतरपुर म.प्र. .... अपीलार्थीगण

//विरूद्ध//

1. हरिशंकर तनय झुल्लू राय
निवासी ग्राम घुवारा तह. घुवारा जिला छतरपुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन .... उत्तरदाता/प्रत्यर्थी

B.O.R. 22 AUG 2017

अपील अंतर्गत धारा 44 भू–राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थीगण की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :–

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 824/अ/3/2014–15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2017 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार घुवारा जिला छतरपुर के समक्ष उत्तरदाता द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम घुवारा स्थित भूमि स.क्र. 1214/2 रकवा 1.173 हेक्ट. भूमि के नक्शें में तरमीम नहीं है उस कारण से भूमि की तरमीम की जाए। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घुवारा द्वारा प्र.क्र. 19/अ/3/2012–13 पंजीबद्ध कर आलौच्य आदेश दिनांक 25.03.2013 को भूमि की तरमीम किए जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी बड़ा मलहरा जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसका अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 16.09.2015 से परिवेदित होकर द्वितीय अपील प्रतिअपीलार्थीगणों ने श्रीमान अपर कमिश्नर न्यायालय सागर में प्रस्तुत की गई जिसमें अपील प्र.क्र. 824/अ–3/2014–15 पंजीबद्ध कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2017 को पारित किया गया जिससे परिवेदित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/अपील/छतरपुर/भू.रा./2017/3168

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
11 –10–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरबिन्द जैन उपस्थित। अनावेदक केवियेटकर्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 824/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03.8.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार घुवाराजिला छतरपुर के समक्ष उत्तरदाता द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम घुवारा स्थित भूमि कमांक 1214/2 रकवा 1.173 है0 भूमि के नक्शें में तरमीम नहीं है, इस कारण से भूमि की तरमीम की जाय। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घुवारा द्वारा प्रकरण 19/अ–3/2012–13 पंजीबद्व कर आलौच्य आदेश दिनांक 25.3.13 को भूमि की तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया गया। इससे दुखित होकर अपीलार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बडा मलहरा जिला छतरपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा स्वीकार कर सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख से पुनः तरमीम कराये जाने के आदेश दिये, इससे से	

दुखित होकर प्रतिप्रार्थी द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अपील स्वीकार की गई, इससे परिवेदित होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जो भूलबस की गई है जबकि निगरानी प्रस्तुत करना थी। आवेदक अधिवक्ता का मौखिक निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी की अपील को परिवर्तित कर निगरानी में सुना जा रहा है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 3.8.17 पारित करते समय विधि एवं न्याय के परिप्रेक्ष्य में स्थापित सिद्वांतों एवं प्रावधानों की अनदेखी कर आलोच्य आदेश पारित किया है जो गुण दोषों की विवेचना किये बगैर पारित किये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि खसरा कमांक 214/2 पर आवेदकगण का विगत 50–60 वर्षो से लगातार कब्जा मान्या किया गया तथा अनावेदक कमांक –1 हरिशंकर के साथ सह खातेदार भागवती, मुन्नीदेवी, दरयाव को उक्त खसरा में सहखातेदार के रूप में संयोजित होने के बावजूद केवल अनावेदक कमांक 1 द्वारा तरमीम आवेदन दिया गया तथा केवल खसरा न0 214/2 की तरमीम चाही गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नम्बर के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर मनमाने ढंग से तरमीम आवेदन में लेख नहीं होने के बावजूद संयोजित किये । इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये जाने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.8.2017 अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क

है कि अपर आयुक्त सागर द्वारा सुविधा संतुलन की दृष्टि से पुनः तरमीम सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा कये जाने का आदेश यथावत रखे जाने का अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखना था किन्तु उक्त आदेश अभिखंडित कर निरस्त किया जाकर विधिक भूल की है जिसे सुधारा जाकर उचित आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त सागर द्वारा कार्यालय पटवारी हल्का कमांक 3 तहसील घुवारा के सूचना पत्र में युसुफ ईसाई के कूटरचित हस्ताक्षर को सही मानकर सूचना पत्र में अन्य कृषक विरतीचन्द्र जैन तथा सुखचंद जैन के हस्ताक्षर भी फर्जी होने पर कोई संज्ञान नहीं लिया है तथा उक्त सूचना पत्र को जानकारी का आधार बताकर तरमीम की कार्यवाही गलत ढंग से सही निरूपित की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा का आदेश यथावत रखते हुये पुनः नक्शा तरमीम किये जाने का आदेश प्रदाय करने का अनुरोध किया गया है।

4– केवियेटकर्ता श्री सुनील सिंह ज़ादौन अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि है और अपर आयुक्त सागर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि प्रावधानों से उचित एवं सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी का आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, अध्ययन से स्पष्ट है कि

विचारण न्यायालय तहसीलदार घुवारा के आदेश दिनांक 25.3.13 जिसमें तरमीम स्वीकृत की गई है कि सव्रे नम्बर 1214/1, 1214/2 एवं 1214/3 के तरमीम प्रस्ताव सहकृषक की सहमति व कब्जा अनुसार मय पंचनामा के प्रस्ताव किये गये, जो स्वीकृत किये जाते हैं। मूल आदेश में 1214/1 एवं 1214/2 आदेश में सफेदा लगाकर मिटाये गये हैं या छेड़–छाड़ की गई हैं, रिकार्ड अनुसार 1214/1 शासकीय भूमि है। 1214/3 भी शासकीय भूमि हैं 1214/2 अनावेदक की भूमि हैं अनावेदक 1214/2 पर कब्जा नहीं रखता है। बटांकन में उसने शासकीय भूमि पर तरमीम करवा ली है, बटांकन हेतु मौके पर की गई कार्यवाही की सूचना आवेदकगण एवं पड़ोसी काश्तकारों को भी नहीं दी गई जो कि नियमानुसार नहीं है। राजस्व निरीक्षक बड़ामलहरा से लिये गये प्रतिवेदन अनुसार उत्तर –पश्चिम के कोने से बटा 1 करते हुये आगे बंटा 2 कायम करते हुये दक्षिण पूर्व की ओर समाप्त किया जाता हैं यहां देखा जाये तो सर्वे नम्बर के उत्तर–पशिचम की ओर आवेदकगणो का कब्जा है जो कि बटा 2 तक कब्जा रखता हैं इस बटांकन कार्यवाही से अनावेदक की भूमि आवेदक के कब्जे में बनी रह जाती है, व उत्तरवादी शासकीय भूमि पर कब्जा तरमीम के आधार पर कर रहा है। इस की विवेचना अनुविभागीय अधिकारी बड़मलहरा द्वारा अपने आदेश में विस्तार से की गई है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि मूल आदेश में 1214/1 एवं 1214/2 आदेश में सफेदा लगाकर मिटाया गया है या छेड़–छाड़ की गई हैं, रिकार्ड अनुसार 1214/1 शासकीय भूमि है। 1214/3 भी

शासकीय भूमि हैं 1214/2 अनावेदक की भूमि हैं अनावेदक 1214/2 पर कब्जा नहीं रखता है। बटांकन में उसने शासकीय भूमि पर तरमीम करवा ली है, बटांकन हेतु मौके पर की गई कार्यवाही की सूचना आवेदकगण एवं पड़ोसी कास्तकारों को भी नहीं दी गई इस ओर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 824/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03.8.17 त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है।

7– परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 824/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03.8.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है, तथा अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा के प्रकरण कमांक 24/अपील/2014–15 में पारित आदेश 16.9.15 स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य